

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 890

दिनांक :- 7/4/18

आदेश संख्या : 16/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कर्मिको को हरिश्चन्द्र माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 में दिनांक 09/04/2018 से 01/06/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 09/04/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	आशीष कुमार - [10445] गोविंद सहाय, 20/01/1994, 514/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय II, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
2	दिव्या दोचानिया - [12484] शिवराम बुनकर, 18/11/1991, 3256/2013	अतिरिक्त निदेशक प्रथम, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
3	जेट्टी मीणा - [12834] रमेश चन्द मीणा, 20/07/1994, 2784/2013	कोषाधिकारी (ई-कोषालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
4	कल्पना - [11292] सत्यवीर सिंह, 15/05/1991, 2220/2013	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
5	ललिता सैनी - [10830] जगदीश प्रसाद सैनी, 31/03/1989, 2096/2013	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
6	ममता सैनी - [12415] श्याम लाल सैनी, 05/02/1994, 1240/2013	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
7	मुकेश कुमारगहलोत - [12165] रामनारायण बंकर, 18/08/1991, 1749/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय II, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
8	नीतू सैन - [12266] राम बाबु सैन, 01/12/1991, 2366/2013	निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर
9	प्रियंका जांगिड़ - [12083] वजरंग लाल जांगिड़, 01/11/1991, 1541/2013	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
10	पुष्पा कुमारी - [12543] मोहम्मद रईस, 02/11/1988, 2651/2013	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
11	पुष्पा साम्भरिया - [12795] कनयन मल साम्भरिया, 15/07/1979, 3310/2013	सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12	राजबाला - [11100] सुरेश कुमार यादव, 04/08/1992, 1890/2013	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
13	राकेश उमरिया - [10362] नेमी चंद उमरिया, 21/08/1991, 412/2013	कोषाधिकारी (ई-कोषालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
14	रोशन कुंडरा - [12604] राम प्रताप कुंडरा, 16/05/1992, 3343/2013	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर
15	शीतल चौधरी - [12547] शिव नारायण चौधरी, 15/07/1992, 2495/2013	निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर
16	सुनीला सैनी - [10821] धन्ना लाल सैनी, 13/05/1985, 1934/2013	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर
17	सुनीता शर्मा - [12109] श्रवण कुमार शर्मा, 08/05/1992, 1657/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अमरसर, जयपुर
18	विद्या देवी - [12851] श्रवण कुमार, 12/04/1987, 2984/2013	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, हनुमानगढ़
19	विजय लक्ष्मी वर्मा - [12405] भगवान सहाय वर्मा, 18/10/1984, 3122/2013	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
20	योगेंद्र कुमार चुलेट - [12418] उमेश चंद्र चुलेट, 17/09/1981, 1259/2013	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर

उक्त प्रशिक्षण का अवधि आठ सप्ताह (आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) का होगा तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 18 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्च पर (बिना डीए/डीए) किया जाता है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 880

दिनांक :- 7/4/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)